

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटड़ी (भीलवाड़ा)

पीठासीन अधिकारी :- श्री <sup>K.R. जो.</sup> ~~भागीरथ साहू~~, आर.ए.एस.  
प्रकरण संख्या - 122/2017

प्रा.प. अन्तर्गत धारा 111,128 रा.भू.रा.अधि.1956  
अनवान

किशनलाल पिता लादुलाल दर्जी जाति दर्जी उम्र 35 वर्ष निवासी छापडेल  
तहसील कोटड़ी तहसील भीलवाड़ा (राजस्थान) प्रार्थी

बनाम

1. कैला पिता माधु माली जाति माली उम्र वयस्क निवासी छापडेल तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा
2. कालू पिता छोगा माली जाति माली उम्र वयस्क निवासी छापडेल तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा
3. देबी पिता कालू माली जाति माली उम्र वयस्क निवासी छापडेल तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कोटड़ी तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा  
विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956  
-:: आदेश ::-

दिनांक 24.5.17.....

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस न्यायालय में दिनांक 3.5.17..... को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम छापडेल, पटवार मण्डल छापडेल, भू.अ. निरीक्षक छापरेल, तहसील कोटड़ी, जिला भीलवाड़ा में प्रार्थी खातेदारी की भूमि की आराजी संख्या 781 रकबा 10 बीघा 11 बिस्वा भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है जिसमें प्रार्थी अपने खाते/सयुक्त खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया एवं प्रकरण केवल सीमा संबंधी है जिससे किसी का कोई हक प्रभावित नही होता है। विपक्षीगण का कोई हक प्रभावित नही होता है। खातेदारी हक प्रार्थी का है इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने के आदेश प्रदत्त किये जाते है एवं संबंधित भू.अ.निरीक्षक छापरेल को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर उभयपक्ष को सुचित करने के उपरान्त पालना रिपोर्ट मार्फत तहसीलदार कोटड़ी के तलब की जावें।

-:: आदेश ::-

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि तहसील कोटड़ी के वाके ग्राम छापडेल, पटवार मण्डल छापडेल, भू.अ. निरीक्षक छापरेल, तहसील कोटड़ी, जिला भीलवाड़ा में प्रार्थी खातेदारी की भूमि की आराजी संख्या 781 रकबा 10 बीघा 11 बिस्वा भूमि पर पत्थरगढी उभयपक्षकारान को सुचित किया जाकर बाद तिथी निर्धारण के पत्थरगढी की जावें। प्रार्थी इस कार्य के लिए कमिश्नर फीस तहसीलदार कोटड़ी के निर्देशानुसार राशि 500 रुपये वक्त पत्थरगढी कमिश्नर भू.अ.निरीक्षक को जमा करायेगा। खर्चा राशि जमा होने पर भू.अ. निरीक्षक द्वारा पत्थरगढी की जाकर पालना करे। यदि रकम पर कोई दिवाल न होवे

पत्थरगढी पर पालना रिपोर्ट सुत नये

d

प्रतिलिपि :- तहसीलदार कोटड़ी को भेजकर लेख है कि आवेदक की पत्थरगढी कराकर सात योम में पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

d